

पितृहीन कन्याओ को छात्रवृत्ति योजना

योजना का उद्देश्य :-

इस योजना के माध्यम से शासकीय विद्यालय में अध्यनरत समस्त पितृहीन बालिकाओ को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना.

योजना की शर्ते/ पात्रता :-

शासकीय विद्यालय में अध्यनरत बालिकाए जिनके पिता का स्वर्गवास हो चुका हे.

योजना के प्रमुख लाभ :-

योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक की बालिका को 350 वार्षिक, कक्षा 6 से 8 तक 400 वार्षिक , कक्षा 9 से 12 तक 450 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती हे.

संपर्क :-

कलेक्टर / शासकीय विद्यालय के प्राचार्य / जिला शिक्षा अधिकारी

पितृहीन कन्याओ को छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन फॉर्म हेतु सम्बंधित अधिकारियो से संपर्क करे.